



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56861

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1904/2026

वीरेंद्र लोधी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : वरुण कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया। कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील करा दिया गया है।

2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, फतेहपुर द्वारा दिनांक 7.1.2026 को जमानत आवेदन संख्या 2245/2025 में पारित आदेश को रद्द करने और उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 387/2025 में धारा 87, 137 (2), 70 (1), 127 (3) बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी), पुलिस स्टेशन- खागा, जिला फतेहपुर के तहत रिहा करने की मांग की गई है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कथित घटना 18.9.2025 को घटी बताई गई है जबकि एफआईआर 19.9.2025 को दर्ज की गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में हुई इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष है और वह बालिग है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि वह 18.9.2025 को अपने घर से निकली और एक जगह से दूसरी जगह गई और 24.9.2025 को वापस लौटी, लेकिन इस दौरान उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि पीड़िता इस घटना में शामिल थी। पीड़ित के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई है। अपीलकर्ता 3.11.2025 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलार्थी **वीरेंद्र लोधी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"